उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग
प्रेस नोट
दिनांक 04 अप्रैल, 2023

मा0 आयोग की बैठक दिनांक 03 अप्रैल, 2023 में उत्तराखण्ड सम्मिलित राज्य कनिष्ठ अभियंता सेवा परीक्षा–2021 एवं उत्तराखण्ड सम्मिलित राज्य अभियंत्रण सेवा परीक्षा–2021 के संबंध में निम्न प्रकार निर्णय लिये गये:–

1. उत्तराखण्ड सम्मिलित राज्य कनिष्ठ अभियंता सेवा परीक्षा–2021 के संबंध में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, हरिद्वार के द्वारा आयोग कार्यालय को उपलब्ध करायी गयी सूची में सम्मिलित समस्त अभ्यर्थियों को आयोग कार्यालय द्वारा जारी कारण बताओं नोटिस के सापेक्ष प्राप्त उत्तरों पर विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि उक्त सूची में सम्मिलित समस्त अभ्यर्थियों को आयोग द्वारा आयोजित आगामी सभी परीक्षाओं से 05 वर्ष के लिए प्रतिवारित (Debar) किये जाने का निर्णय लिया गया है।

2 उत्तराखण्ड सम्मिलित राज्य अभियंत्रण सेवा परीक्षा–2021 के संबंध में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, हरिद्वार के पत्र द्वारा प्रश्नगत परीक्षा में 09 छात्रों के नकल करने की पुष्टि हेतु सूचित किया गया है।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, हरिद्वार की उपरोक्त आख्या के आधार पर सम्यक् विचारोपरान्त उत्तराखण्ड सम्मिलित राज्य अभियंत्रण सेवा परीक्षा–2021 को निरस्त किया जाता है।

उक्त के अतिरिक्त यह भी निर्णय लिया गया कि प्रश्नगत परीक्षा पूर्व में जारी विज्ञापन दिनांक 01.09.2021 तथा तत्क्रम में जारी विज्ञप्ति दिनांक 20.09.2021 एवं 17.01.2022 के आधार पर उक्त परीक्षा पुनः दिनांक 13, 14 एवं 16 से 18 अगस्त, 2023 (कुल 05 दिवस) को आयोजित की जायेगी।